>

Title: Regarding atrocities against dalits in Husaipur village in Alwar district of Rajasthan on 19 January, 2011.

श्री अर्जुन राम मेघवाल :सभापति महोदय, इसी हाउस में यह चर्चा हुई थी कि एससीएसटी पर अत्याचार बढ़ रहे हैं और दो दिन तक यह चर्चा हुई। मैं आपको नेशनल क्राइम ब्यूरो के रिकार्ड के जो आंकड़े बताने वाला हूं, ये चौंकाने वाले हैं कि चर्चा होने के बावजूद भी क्राइम बढ़ रहे हैं। मैं राजस्थान से आता हूं। यू.पी. के बाद राजस्थान एससीएसटी पर अत्याचार के संबंध में द्वितीय स्थान पर पहुंच गया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अलवर जिले में तिजारा तहसील है, वहां एक हुसेपुरा गांव है, वहां पर एक घटना घटी कि एक बकरी को लेकर झगड़ा हुआ। वहां 25 परिवार एससी के रहते हैं, उन 25 परिवारों को रिएक्शन में उनके घरों को जला दिया गया। उनके जो कुएं थे, उनको नष्ट कर दिया गया और जितनी फसल थी, उसको काट दिया गया। जो 60 भैंस थीं, उनको चोरी कर लिया गया और उनके घर में कोई भी सामान नहीं छोड़ा। सारे घर का सामान तोड़ दिया गया, पंखा तोड़ दिया गया, कुर्सियां तोड़ दी गई। यानी एक छोटी सी घटना को लेकर इतना रिएक्शन किया गया। मैंने इसकी शिकायत ह्यूमन राइट्स कमीशन को की। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने वहां विजिट किया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति आयोग को भी वहां विजिट करना चाहिए था। ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो रिपोर्ट है, वह संबंधित एमपी को मिलनी चाहिए। मेरी शिकायत पर ह्यूमन राइट्स कमीशन वहां गया और उनका कहना है कि हम रिपोर्ट को सीक्रेट रखेंगे। हमारा कहना है कि रिपोर्ट हमें मिलनी चाहिए।

मेरा दूसरा सुझाव है कि एससीएसटी पर अत्याचार के संबंध में दो एक्ट्स् हैं, लॉ मिनिस्टर साहब भी यहां बैठे हैं, The Protection of Civil Rights Act, 1955 and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act, 1989. इन एक्ट में भी संशोधन करने की जरुरत है क्योंकि इसमें गवाह लेने का जो प्रोसीजरल कॉमप्लीकेशन दिया हुआ है, उसके कारण जो एससीएसटी पर अत्याचार हो रहे हैं, जो उनकी कंवेंशन रेट है, माननीय मंत्री जी को शायद ध्यान होगा, इस देश में 27.2 प्रतिशत है।

MR. CHAIRMAN: You have made your point.

श्री अर्जुन राम मेघवाल : सभापति महोदय, इसीलिए इन दोनों एक्ट में भी संशोधन होना चाहिए और अनुसूचित जाति आयोग को भी वहां जाना चाहिए। जो आरटीआई एक्टीविस्ट बाड़मेर में था, उसके ऊपर भी चोट हुई है। हमारे भरतपुर में भी उनके झोंपड़े जला दिये गये हैं। ये जो अत्याचार बढ़ रहे हैं, उनको रोकने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। धन्यवाद।